न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

...ीन अधिकारी :— श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

...दमा संख्या:— 274/2023

...जी सी एम एस न0 2023/665

दर्ज दिनांक 20.06.2023

निर्णय दिनांक 28.06.2023

टीना जांगिड पुत्री प्रभुदयाल उम्र 36 वर्ष जाति जांगिड निवासी गुढागौडजी तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 28.06.2023**

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम टोडी पटवार हल्का दुडिया के भूमि खसरा न0 1993/683, 2690/648, 2691/648, 2693/682, 2694/683, 645 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4549 है0 स्थित है उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीया भी रिर्कोर्डेड खातेदार है। तथा अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सुशिला पुत्री प्रभुदया दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थिया का सही न ाम टीना जांगिड पुत्री प्रभुदयाल है । प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य सभी दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड पेन कार्ड जन आधार कार्ड आदि में टीना जांगिड पुत्री प्रभुदयाल ही दर्ज है जो कि सही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने के कारण काश्त की सुविधा व सरकार तमाम सुविधा प्राप्त करने में प्रार्थीया को काफी परेशानी होती है और सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं होती है । इसलिए प्रार्थीया को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूरस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 का पेश करना आवश्यक हुआ प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई।

तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त।

टीना जागिड के बयान दर्ज किये गये।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सुशिला पुत्री प्रभुदयाल की बजाय टीना जांगिड पुत्री प्रभुदयाल दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:45:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

...प्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर ...किया गया। ग्राम टोडी उक्त भूमि खसरा न. मे प्रार्थीया रिकोर्डेड खातेदार है। , उक्त ...के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सुशिला पुत्री प्रभुदयाल दर्ज है जो कि गलत दर्ज ...जबकि अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम टीना पुत्री प्रभुदयाल दर्ज है। तहसीलदार से ...प्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया का खातेदारी की उक्त खसरा न0 की भूमि ...के राजस्व रिकार्ड में नाम सुशिला पुत्री प्रभुदयाल के बजाय टीना जांगिड पुत्री प्रभुदयाल दुरूरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड मे दुरूरस्त करवाने की अधिकारी है उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है कि ग्राम टोडी वर्तमान भूमि खसरा न. 1993/683, 2690/648, 2691/648, 2693/682, 2694/683, 645 कुल किता 6 कुल रकबा 3.4549 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम सुशिला पुत्री प्रभुदयाल के बजाय टीना जांगिड पुत्री प्रभुदयाल शुद्ध/ दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार गुढागौडजी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

28/6/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (झुंझुनू)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28/6/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (झुंझुनू)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:45:24 IST
Reason: SelfAttested